तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3051/2009/अलवर इलियास व अन्य बनाम रामेश्वर व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री रामदयाल मीणा, सदस्य

उपस्थितः–

श्री मुकेश जैन व श्री अभिषेक कौशिक, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
श्री संजय वोहरा, ब्रीफ होल्डर, अधिवक्ता अप्रार्थीगण ।

निर्णय

दिनांकः–06.07.2022

प्रार्थीगण ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा अपील संख्या 79/1990 में पारित निर्णय दिनांक 29.09.1995 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

निगरानी के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं तरतीबी विपक्षी नंबर 18 के पति चंदरा ने एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़वास के न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नंबर 53 रकबा 18 बीघा 11 बिस्वा जिसके नये खसरा नंबर 178, 179 एवं 180 बने है, जो कि ग्राम लामडका तहसील तिजारा जिला अलवर में अवस्थित है, को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने से पहले से निरन्तर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है एवं धारा 19 (ए) राज0काश्त0अधि0 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 5.4.1961 को भी उपकृषक की हैसियत से काबिज काश्त चले आ रहे है । इस कारण उन्हें स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है किन्तु उनके नाम के अंकन नहीं किए है । अब खातेदार अंकित किया जावे । उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़वास ने निर्णय दिनांक 21.5.1990 द्वारा चन्दरा पुत्र चाहत, आसीन, चन्दरखां, चन्दर पुत्र सुबुद्धि मेव को खातेदार काश्तकार दर्ज करने का आदेश प्रदान कर दिया। उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़बास के आदेश दिनांक 21.5. 1990 के विरूद्ध अप्रार्थीगण रामेश्वर ने एक अपील भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के न्यायालय में पेश की जिस पर भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर ने निर्णय दिनांक 29.9. 1995 को पारित कर अपीलांट/अप्रार्थी की अपील स्वीकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3051/2009/अलवर **इलियास व अन्य बनाम रामेश्वर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कर उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़बास के निर्णय दिनांक 21.5.1990 को निरस्त कर दिया । भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के निर्णय दिनांक 29.9.1995 से व्यथित होकर प्रार्थीगण ने यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की है । उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की राजीनामे पर बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । दौराने अपील पक्षकारान की और से दिनांक 11.05.2022 को राजीनामा प्रस्तुत किया गया । उक्त राजीनामे पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस दिनांक 22.06.2022 को सुनी गई । उभयपक्ष की सहमति से उक्त राजीनामे के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़बास, जिला अलवर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे पक्षकारान की जरिये अभिभाषक पहचान कराकर और राजीनामे की जांच कर राजीनामे आधार पर विधिसम्मत् निर्णय पारित करे । पक्षकारान की और से प्रस्तुत मूल राजीनामा उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़बास, जिला अलवर को पत्रावली के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जावे और सुलभ संदर्भ हेतु पक्षकारान की और से प्रस्तुत राजीनामे की एक प्रति मण्डल की पत्रावली में संलग्न की जावे । उभयपक्षकारान को उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़बास, जिला अलवर के न्यायालय में उपस्थित होते दिनांक 03.08.2022 के लिए जरिये अभिभाषक पाबंद किया जाता है । तद्नुसार निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़, जिला अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.05.1990 एवं भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.09.1995 निरस्त किये जाते है । तहत न्यायालय का रिकार्ड भिजवाया जावे । पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(रामदयाल मीणा)** **सदस्य**	